श्री जे. पी. नड्डा ने देश में एकीकृत खाद्य विधि के एक दशक का स्मरणोत्सव मनाया

सुरक्षित आहार का प्रावधान हमारी सामासिक संस्कृति का अंग बने : जे. पी. नड्डा

एफ.एस.एस.ए.आई ने 10@10 पहल की घोषणा की

देश में एकीकृत खाद्य विधि के एक दशक का स्मरणोत्सव मनाते हुए और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) की दशाब्दी के अवसर पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने बधाई संदेश में 'उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे खाद्य उत्पादक और पूर्तिकर्ता उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, मांगों और अपेक्षाओं के प्रति जिम्मेदार बनें।' उन्होंने आगे कहा कि 'सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार से 'स्वस्थ भारत' का निर्माण होगा' और यही एफ.एस.एस.ए.आई के प्रयासों का आधार होना चाहिए।'

एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफ.एस.एस.ए.आई अधिनियम) के अधिनियमन के 10 वर्षों के स्मरणोत्सव के रूप में हाल ही में यहाँ आयोजित समारोह में बोलते हुए श्री जे. पी. नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि 'खाद्य सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा है। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएँ हैं, यह देश से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ा सकता है और किसानों को उनके उत्पादों की बेहतर कीमत दिला सकता है। सुरक्षित खाद्य का प्रावधान देश की सामासिक संस्कृति का अंग बनना चाहिए।'' उन्होंने आगे कहा कि एफ.एस.एस.ए.आई अधिनियम खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत विनियमात्मक युग से स्व-नियमन और सुविधादायी युग में अंतरण के रूप में एक आमूल परिवर्तन है। श्री नड्डा ने कहा कि ''अब आधारभूत जमीनी कार्य कर लिया गया है और हम एक लंबी छलांग लगाने को तैयार हैं।'' श्री सी. के. मिश्रा, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव इस अवसर के विशेष अतिथि थे।

श्री नड्डा ने भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए एफ.एस.एस.ए.आई के अथक प्रयासों की सराहना की। अपने अभिभाषण में उन्होंने खाद्य कारोबार और विनियामक के मध्य दुतरफे संवाद पर बल दिया। उन्होंने परामर्श दिया कि अपने मानक निर्धारण और अनुपालन के कार्य के समय प्राधिकरण को छोटे खाद्य कारोबारों की आवश्यकताओं और चिंताओं से भी परिचित रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विगत दस वर्षों में देश के लोगों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात के विनियमन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कार्य कर लिया गया है। एफ.एस.एस.ए.आई विश्वास और अनुपालन की प्रतीक के रूप में जानी जाती है और उद्योग तथा प्राधिकरण के बीच संक्रिया से इस विश्वास के सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा।''

इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक विशेष संस्मारक पुस्तिका - जो एफ.एस.एस.ए.आई के इतिहास और वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों, उद्यमियों और उपभोक्ता संगठनों के 50 से अधिक आमंत्रित लेखों का संकलन है - जारी

की। श्री सी. के. मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी श्रोताओं को खाद्य मानक और उनकी क्रियान्वयन प्रणाली बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर प्रेरक संदेश दिया।

अपने प्रारंभिक भाषण में श्री आशीष बहुगुणा, अध्यक्ष, एफ.एस.एस.ए.आई ने कहा, ''एफ.एस.एस.ए.आई की स्थापना के सर्वाधिक महत्वूपर्ण उपबधों में से एक उपबंध खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानदंड, विनियम और दिशा-निर्देश निर्धारित करना था। हमने इस अधिनियम के अंतर्गत इनके निर्धारण के 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब हम भारत में सुरक्षित आहार संस्कृति के निर्माण के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा केवल प्रवर्तन से सुनिश्चित नहीं की जा सकती।''

इस अवसर पर एफ.एस.एस.ए.आई ने 10@10 – दस पहलों के साथ दशक - की भी घोषणा की। 10@10 पहल का मुख्य ध्यान देश में खाद्य सुरक्षा संस्कृति के निर्माण के लिए हितधारकों और उपभोक्ताओं के सम्मिलन पर है। 10 पहलों के इस समूह के अंतर्गत घर, स्कूल, कार्य-स्थल, धार्मिक स्थानों, रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों, रेस्टोरेंटों और अन्य स्थानों में सुरक्षित और पोषक आहार पर ध्यान केंद्रित करना है। इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड भी आरंभ किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से सीधे संपर्क करने में सहायता मिलेगी। कार्पोरेट-4फूड सेफ्टी पहल के अंतर्गत कार्पोरेटों ने जिम्मेदार खाद्य कारोबारी के रूप में अन्य हितधारकों को खाद्य सुरक्षा के लिए सहयोजित, शिक्षित और प्रेरित करने की प्रतिबद्धता जताई।

10@10 पहल का जिक्र करते हुए श्री पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई ने कहा कि इन सभी पहलों का विकास अन्य हितधारकों और सहभागियों के साथ पिछले कुछ महीनों के सहयोग से किया गया है। उन्होंने बताया कि अगले कुछ महीनों में राज्यों की इन्हें प्रायोगिक आधार पर लागू करने में सहायता की जाएगी और संभवत: अगले वर्ष तक इनका राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन किया जाएगा। उन्होंने एफ.एस.एस.ए.आई की अन्य पहलों, यथा राष्ट्रीय दुग्ध गुणता सर्वेक्षण, खाद्य पोष्टिकीकरण, खेत से व्यापार तक - मानकों में अंतरपूर्ति, भारत की समृद्ध पाक्-संस्कृति की पुन:स्थापना, जैव खाद्य मानक, ई-लर्निंग पोर्टल और पंजीकरण तथा लाइसेंसिंग विनियमों के सरलीकरण का भी जिक्र किया।

मुख्य चर्चा से पहले दो पैनल चर्चाएँ की गईं। इनमें से एक ''असंगठित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा – चुनौतियाँ और अवसर'' विषय पर थी, जिसमें स्किल इंडिया की सहभागिता से छोटे खाद्य कारोबारियों यथा स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, फल और सब्जी विक्रेताओं और अन्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और इन कार्पोरेट भागीदारियों से इन प्रयासों को स्थायी बनाने पर केंद्रित था। दूसरे पैनल की चर्चा का विषय ''खाद्य सुरक्षा - एक साझा जिम्मेदारी'' था, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चत करने के लिए सभी हितधारकों को संयुक्त जिम्मेदारी लेने पर केंद्रित थी।

समारोह में वैज्ञानिक समुदाय सहित खाद्य क्षेत्र समुदाय, उद्योग - बड़े घरानों के साथ-साथ छोटे और मध्यम खाद्य कारोबारियों के संघों, उपभोक्ता और नागरिक संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विदेशी दूतावासों, केंद्र और राज्यों के अधिकारियों और विशेषज्ञों और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया।